

**\*पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत चलाये जा रहे "साथ-साथ कार्यक्रम" के तहत परिवार परामर्श केन्द्र महिला थाना द्वारा 06 परिवारों के मध्य कराया गया सुलह समझौता\***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सत्यजीत गुप्ता\*** के निर्देशन में चलाये जा रहे **\*"साथ-साथ" कार्यक्रम (टूटते परिवार को जोड़ने की एक पहल)\*** के तहत आज दिनांक 21.04.2024 को परिवार परामर्श केन्द्र महिला थाना जनपद संतकबीरनगर पर **थानाध्यक्ष पूनम मौर्या एवं नियुक्त सदस्य श्री रिफातुल्लाह अंसारी** के अध्यक्षता में **06** मामले आये। जिसमें सुलह समझौता करवाया गया।

**1.प्रथम पक्ष** – संगम पुत्री लौटन निवासी ग्राम – सिसवनिया थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

**द्वितीय पक्ष** – सूरज पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम सिकरी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर। काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों में आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

**2.प्रथम पक्ष** – मोहरम अली पुत्र मो0 याकूब निवासी ग्राम – मगहर खास थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

**द्वितीय पक्ष** – एकलाख पुत्र अब्दुल अजीज निवासी ग्राम – लोहरसन थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर। के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों में आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

**3.प्रथम पक्ष** – मंजू देवी पत्नी सिन्दू निवासी ग्राम – भिटवा टोला, मुस्तफा मार्केट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

**द्वितीय पक्ष** – सिन्दु पुत्र श्रीरामचन्द्र निवासी ग्राम – भिटवा टोला, मुस्तफा मार्केट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर। के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों में आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

**4.प्रथम पक्ष** – नीलू पत्नी संदीप निवासी ग्राम – अली नगर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

**द्वितीय पक्ष** – संदीप पुत्र राजदेव निवासी ग्राम – अलीनगर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर। के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों में आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

**5.प्रथम पक्ष** – लीलावती पत्नी सोमनाथ निवासी ग्राम – इमलीडीहा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

**द्वितीय पक्ष** – सोमनाथ पुत्र गौकरन निवासी ग्राम – इमलीडीहा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर। के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों में आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

**6.प्रथम पक्ष** – धर्मेन्द्र पुत्र स्व0 सिकन्दर निवासी ग्राम – बाबू गंगनाई थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर।

**द्वितीय पक्ष** – इन्द्रावती पत्नी सुभाष निवासी ग्राम – तुलसीपुर थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर। के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों में आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

**\*शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार\***

- **\*थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा\*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **\*थाना दुधारा पुलिस द्वारा\*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

**\*पीआरवी आफ द डे\***

**\*पीआरवी 3308 द्वारा मीरपीट/विवाद में घायल 04 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल-\*** पीआरवी 3308 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत परमेश्वरपुर से इवेन्ट संख्या 3308 से कालर द्वारा किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने के कारण 04 व्यक्तियों (1. गोपाल पुत्र किशोरीलाल 2.- पूनम पत्नी गोपाल 3-सजीवन पुत्र किशोरीलाल 4- शीला पत्नी सजीवन ग्रा0 परमेश्वरपुर थाना महुली, संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्तियों को एम्बुलेंस 108 की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी नाथनगर भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्तियों को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

**\*पीआरवी स्टाफ-\*** आ0 अमरेन्द्रचन्द चौधरी, हो0चा0 त्रिभुवन चौधरी ।

**\*मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 73 वाहनों से 1,09,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया\***

आज दिनांक 21.04.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 73 वाहनों से 1,09,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

**\*संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये  
02 सीसीटीवी कैमरे\***

\*श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर\* द्वारा चलाये जा रहे **\*आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान\*** के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **\*श्री सत्यजीत गुप्ता\*** के निर्देशन में आज दिनांक 21.04.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 02 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। **थाना कोतवाली खलीलाबाद** पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 02 कैमरे लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरूर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।